

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद  
(अरुण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

पंचायत रिवीजन संख्या: 08/2024

दायर दिनांक: 13.05.2024

निर्णय दिनांक 16.01.2026

—: अनवान :-

1. श्री सोहनसिंह पिता नेनूसिंह जी जाति रावत उम्र 44 वर्ष निवासी मन्दिर के पास बाघाना तहसील भीम जिला राजसमंद राजस्थान
2. श्री पूरणसिंह पिता घीसासिंह जी जाति रावत उम्र 46 वर्ष निवासी उबाभाटा बाघाना तहसील भीम जिला राजसमंद राजस्थान

— निगराकार

बनाम

1. श्रीमान् ग्राम पंचायत बाघाना जरिये सरंपच ग्राम पंचायत बाघाना तहसील भीम जिला राजसमंद राजस्थान
2. श्रीमान् ग्राम पंचायत बाघाना जरिये ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बाघाना तहसील भीम जिला राजसमंद राजसमंद
3. श्रीमती भाग्यवन्तीदेवी पत्नी स्व0 सत्यनारायण जोशी जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी बाघाना तहसील भीम जिला राजसमंद राजस्थान

— गैर निगराकारगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम निगरानी विरुद्ध आदेश ग्राम पंचायत बाघाना द्वारा जारी पट्टा संख्या 45 बुक संख्या 13 दिनांक 20.10.2010 से अप्रसन्न होकर

उपस्थित :-

1. श्री आर0एल0 रावत, अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार
2. श्री अनिल बागोरा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 व 02
3. श्री भरत उपाध्याय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3



*Deh*

:: निर्णय ::

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि निगराकार ने निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम निगरानी विरुद्ध आदेश ग्राम पंचायत बाघाना द्वारा जारी पट्टा संख्या 45 बुक संख्या 13 दिनांक 20.10.2010 से व्यथित होकर निगरानी याचिका प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अनिगराकार संख्या 1, 2 द्वारा पट्टा संख्या 45 बुक संख्या 13 दिनांक 20.10.2010 को अनिगराकार संख्या 3 के पक्ष में प्लोट का पट्टा जारी किया गया है, वह विधि के विरुद्ध जारी किया गया है, उक्त पट्टे में जो पडौस बताये हैं पूर्व में तालाब, व पहले ललित कुमार का प्लोट, पश्चिम रोड, उत्तर 20 फीट रास्ता एवं दक्षिण पडत आबादी, जो प्लोट 90 फीट लम्बा होकर 70 फीट चौड़ा है जिसका कुल क्षेत्रफल 6300 वर्गफीट का जारी किया है। उक्त भूखण्ड अनिगराकार संख्या 1, 2 ने 3 के पक्ष में राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 157 (1) के तहत तथाकथित आवंटन होना बताया है। राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के प्रावधान में उक्त पट्टा 6300 वर्गफीट का दिया गया है। पंचायत राज अधिनियम 1996 के नियम 157 (1) के तहत अधिकतम भूमि का पट्टा जारी करने का जो नियम बना रखा है, उससे अधिक भूमि का पट्टा जारी किया गया है। उक्त पट्टा जारी करने से पहले अनिगराकार संख्या 3 के पति सत्यनारायण को जो पट्टा जारी किया गया है, उक्त पट्टा दिनांक 12.08.1985 को जारी करना बताया जाता है, जब कि आराजी नम्बर 124 मीन की किस्म आबादी नहीं थी तो फिर आबादी भूमि का तथाकथित पट्टा कैसे जारी किया गया, किन नियमों के तहत जारी किया गया एवं वर्तमान में जो पट्टा जारी किया गया है उसमें भी पूर्व पट्टे के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अनिगराकार संख्या 1, 2 का उक्त सारा कृत्य विधि विरुद्ध है। किसी भी पट्टे के अस्तित्व में रहते हुए पश्चात्तर्ती पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। वगैरह तथ्यों का उल्लेख करते हुए निगरानी याचिका पेश की।

प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/गैर निगराकार को जरिये नोटिस सूचित किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से 03 को जारी नोटिस बाद तामील के प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता श्री अनील बागोरा द्वारा वकालतनाम प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता श्री भरत उपाध्याय द्वारा वकालतनाम प्रस्तुत किया तथा ग्राम पंचायत बाघाना से मूल पट्टा पत्रावली तलब की गयी।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा विस्तृत जवाब का हक सुरक्षित रखते हुए अप्रार्थी संख्या 03 श्रीमती भाग्यवन्ती देवी के द्वारा प्रारम्भिक आपत्ति का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसके अनुसार स्वीकृत रूप से जैर निगरानी पट्टा सं. 45 जो ग्राम पंचायत, बाघाना के प्रस्ताव संख्या 05 के अनुपालना में दिनांक 20.10.2010 को अप्रार्थी के पक्ष में जारी किया, विधि अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव/आदेश की धारा 61 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के तहत धारा 56 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन गठित पंचायत समिति की स्थाई समिति के समक्ष प्रस्ताव/आदेश की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर ऐसे अपील के प्रावधान प्रावधित है। अतः जैर हस्तगत निगरानी याचिका विधिक रूप से



*Handwritten signature/initials.*

पोषणीय नही होने से खारिज होने योग्य है। स्वीकृत रूप से जैर निगरानी पट्टा संख्या 45 दिनांक 20.10.2010 को जारी किया गया है। विधि अनुसार किसी अधिनियम के अन्तर्गत या परिसीमा अधिनियम के पार्ट सैकेण्ड में अन्यत्र कोई परिसीमा काल उपबंधित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में निगरानी प्रस्तुतिकरण की म्याद परिसीमा अधिनियम के आर्टिकल 137 के अधीन तीन वर्ष है। जबकि हस्तगत निगरानी जैर 14 वर्ष देरीना पेश की गई है। अप्रार्थी सं. 03 ने निगराकार/प्रार्थीगण के विरुद्ध अज अदालत श्रीमान् वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश महोदयजी, भीम में दीवानी वाद प्रस्तुत किया तथा वहां निगराकार/प्रार्थी ने अपने जवाब दावा में यह अभिवचन किया कि अप्रार्थी सं. 03 के पट्टे की भूमि निगराकार/प्रार्थीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की सम्पत्ति होकर आराजी संख्या 121 के साबिक आराजी संख्या 1195, 1196, 1197, 1198, व 1199 है। यानि निगराकार/प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. 03 की पट्टेशुदा भूमि को अपनी होने का कथन कर दीवानी मूलवाद में अपना जवाब-दावा प्रस्तुत किया तथा जो पट्टा अप्रार्थी सं. 03 को जारी हुआ, उस पर वही एतराज के संबंध में अपना जवाब-दावा पेश किया, जो उक्त निगरानी याचिका में भी अभिवचन प्रस्तुत किये है। अज अदालत श्रीमान् वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश महोदय, भीम द्वारा अपने निर्णय दिनांक 09.04.2024 को निगराकार/प्रार्थी का जवाब-दावा के अभिवचनों को सही नही मानते हुए मिथ्या साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत करने तथा न्यायालय में गलत तथ्य पेश करने पर विचारणीय न्यायालय ने मैरिट पर वाद का निस्तारण करते हुए अप्रार्थी/अनिगराकार सं. 03 के पक्ष में वाद को निर्णय व डिक्री कर दिया। जिस पर निगराकार/प्रार्थी ने निर्णीत वाद के निर्णय दिनांक 09.04.2024 पर आक्षेप लगाते हुए अज अदालत श्रीमान् जिला न्यायाधीश महोदय, राजसमन्द के समक्ष निर्णीत दीवानी मूलवाद की प्रथम दीवानी अपील पेश की। जो दर्ज रजिस्टर होकर पुनः नियमित सुनवाई हेतु अज अदालत श्रीमान् अपर जिला न्यायाधीश महोदय, राजसमन्द के न्यायालय में ट्रांसफर हुई। जहां अपील की सुनवाई प्रारम्भ होते ही अपीलार्थी/निगराकार ने अपील में अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर अपीलीय न्यायालय ने अपील व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को मैरिट पर पूर्ण सुनवाई करते हुए अपीलार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज कर दी गई तथा अपीलीय न्यायालय ने अप्रार्थी सं. 03 श्रीमती भाग्यवंती देवी जोशी के स्वामित्व व आधिपत्य को विधि अनुरूप सही व पुश्तैनी मानते हुए दिनांक 25.11.2024 को अपीलीय निर्णय व डिक्री पारित कर दिया। अज अदालत श्रीमान् वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश महोदय, भीम एवं श्रीमान् अपर जिला न्यायाधीश महोदय, राजसमन्द के हस्तगत दीवानी प्रकरण में यह स्पष्ट निर्णीत हो चुका है कि अनिगराकार/अप्रार्थी सं. 03 का आवासीय भूमि का पट्टा विलेख आराजी सं. 121 की भूमि में नहीं होकर ग्राम पंचायत बाघाना की आबादी के खसरा नं. 2103/124 में है। जो अनिगराकार सं. 01 व 02 ने अनिगराकार सं. 03 के पक्ष में जारी कर रखा है। विचारणीय व अपीलीय न्यायालय में राजस्व विभाग द्वारा जारी भू-अभिलेख साक्ष्य पर न्यायालय ने पूर्व में ही विचार कर रखा है। जो साक्ष्य न्यायालय में परीक्षित होते हुए प्रदर्श मार्क 23 में जमाबंदी व प्रदर्श मार्क 24 में खसरा नक्शा जो कि आबादी भूमि का प्रमाणित साक्ष्य है। जिससे यह साबित होता है कि निगराकार/प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 03 के विरुद्ध पूर्व में ही न्यायालय में यह समस्त तथ्य साबित हो चुके हैं। निगराकार/प्रार्थी के द्वारा जो निगरानी याचिका अप्रार्थी के विरुद्ध पेश



*Sh*

की है जो विधिशास्त्र के "रेस ज्युडीकेटा" के सिद्धान्त के अनुसार चलने योग्य नहीं होने से काबिले खारिज करने योग्य है। निगराकार/प्रार्थी ने उक्त पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के तहत प्रस्तुत की है। जो कि प्रस्तुत निगरानीकार/प्रार्थी पूर्व में डबल कोर्ट से उन्हीं तथ्यों से निर्णीत होने के उपरांत भी अधिनियम की धारा 97 के प्रावधान के अनुसार "हितबद्ध व्यक्ति व पीडित पक्षकार नहीं है" तथा निगरानी याचिका प्रस्तुत करने का निगराकार का कोई औचित्य भी नहीं है। इसलिए बिना अधिकार व हित से परे जाकर पुनः निर्णीत तथ्यों पर निर्णय नहीं किया जा सकता, इसलिए यह निगरानी याचिका को सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए काबिले खारिज करने योग्य है। निगराकार/प्रार्थीगण बहुत ताकतवर और झगडालु किस्म के भू-माफिया व्यक्ति हैं, तथा वे लोग सीधे-साधे लोगों की निजी भूमि पर और सरकारी भूमि पर जबरन अतिक्रमण एवं कब्जा करने तथा नाजायज रूप से परेशान कर अवैध वसूली करने का कार्य करते हैं। निगराकार के खिलाफ पूर्व में भी कई आपराधिक प्रकरण पुलिस थाना, दिवेर में दर्ज होकर सक्षम न्यायालय में निगराकार के विरुद्ध चालान पेश हो रखे हैं, तथा कई प्रकरण में निगराकार नामजद मुल्जिम है, जिसके विरुद्ध अनुसंधान प्रक्रियाधीन है। तथा कई प्रकरण में न्यायालय में चालान भी पेश हो रखे हैं। निगराकार/प्रार्थी ने मौजा ग्राम बाघाना के राजस्व भू-अभिलेख के खसरा नं. 121 किस्म गै. मु. तालाब पेटा की सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण करके गलत रूप से सम्पूर्ण तालाब की पाल पर व तालाब पेटा की भूमि पर तारबंदी करके नाजायज कब्जा किया है। जिसके संबंध में ग्रामवासियों ने श्रीमान् तहसीलदार महोदय, भीम को एक लिखित शिकायत प्रस्तुत की जिसको श्रीमान् ने उप-तहसील, दिवेर के नायब तहसीलदार को शिकायत प्रार्थना पत्र को विप्रेषित करके दर्ज रजिस्टर करके विधि अनुरूप जांच करने के लिए पटवार मण्डल बाघाना के हल्का पटवारी को एवं भू-अभिलेख निरीक्षक, बग्गड़ को निर्देश प्रदान किये, जिस पर पटवार मण्डल बाघाना ने एक टीम गठित की तथा उक्त अतिक्रमण आराजी का मौजा निरीक्षण किया, जिसमें भू-अभिलेख रिकॉर्ड के अनुसार निगराकार व अन्य ने उक्त आराजी पर स्थाई तारबंदी युक्त कब्जा पाया गया, जिस पर पटवार मण्डल, बाघाना की गठित टीम ने श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय, दिवेर को जांच रिपोर्ट व मौका फर्द रिपोर्ट पेश कि जिसमें निगराकार व अन्य द्वारा अतिक्रमी पाये जाने से अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उचित कार्यवाही करते हुए अतिक्रमी को बेदखल करने तथा तारबंदी को कुर्क करने का आदेश पारित किया गया है। जिसके पारित हुए आदेश को निगराकार/प्रार्थी ने आदरणीय श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, राजसमन्द के समक्ष श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय, दिवेर के पारित आदेश कि निगराकार व अन्य ने अपील प्रस्तुत की है। जो अपीलीय वर्तमान में आदरणीय न्यायालय में विचाराधीन है। तालाब पेटा की भूमि पर और श्रीमान् जिला कलेक्टर साहब के द्वारा राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ति पाठशाला, बाघाना के नाम से आराजी नं. 2097/124 व 2171/115 आवंटित हो रखी विद्यालय के खेल मैदान के लिए आरक्षित भूमि पर भी निगरानीकार ने अवैध अतिक्रमण कर रखे हैं, तथा उक्त अवैध अतिक्रमण को यथावत् रखने के आशय से गलत बयानी कर निगरानी याचिका अप्रार्थी सं. 03 के विरुद्ध पेश की है। जो स्पष्ट रूप से न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है, इस कारण भी निगराकार की निगरानी याचिका चलने योग्य नहीं होकर खारिज होने योग्य है। अतः इसी क्रम यह है कि निगराकार द्वारा प्रस्तुत



*deh*

निगरानी याचिका पूर्व में ही सिविल न्यायालय में उन्ही तथ्यों व परिस्थितियों के अनुरूप भू-अभिलेख दस्तावेज व विधि को जांच करके उक्त निगरानी याचिका में निगराकार व अनिगराकार के हस्तगत अपील व वाद को निर्णीत किया जा चूका है। अतः निगरानी याचिका धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत पूर्व-न्याय के सिद्धान्त पर आधारित है। इसलिए एक ही कारण CAUSE के लिये व्यक्ति को दुबारा प्रताडित VEXED नहीं करना चाहिए। जिसके अनुरूप याचिका चलने योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज करने योग्य है। क्योंकि Res-Judicata Principle of Res-Judicata is Founded on Equity Justice & Good Conscience No Man Should Be Vexed Twice Over For The Same Cases.

अधिवक्ता निगराकार द्वारा उक्त प्रारम्भिक आपत्ती का जवाब पेश किया गया। जिसके अनुसार प्रारम्भिक आपत्ती निगरानी की क्लम नंबर 1 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है। ग्राम पंचायत बाधाना के द्वारा दिनांक 20.10.2010 को पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के विपरित जाकर अप्रार्थी संख्या 3 भाग्यवन्ती के पक्ष में जौ पटटा जारी किया गया है, वह खारिज होने योग्य है। अवैध पटटों को खारिज करने के लिए धारा 97 पंचायत राज अधिनियम के तहत निगरानी पौषणीय है। शेष कथन विधि विरुद्ध होने से अस्वीकार है। प्रारम्भिक आपत्ती निगरानी की क्लम नंबर 2 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है। जवाब में निवेदन है कि पटटा सं० 10 दिनांक 20.10.2010 जो पटटा ग्राम पंचायत बाधाना नै अवैध रूप से जारी किया गया है, एवं अवैध पटटों की निगरानी के जरिये कभी भी खारिज कराया जा सकता है। ऐसे अवैध पटटों के लिए परिसीमन अधिनियम में उल्लेखित प्रावधान लागू नहीं होते। प्रारम्भिक आपत्ती निगरानी की क्लम नंबर 3 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है। न्यायालय वरिष्ठ सिविल जज साहब, भीम में प्रकरण होना एवं उसकी अपील जिला न्यायाधीश महोदय, राजसमंद एवं उसके बाद अपर जिला न्यायाधीश महोदय, राजसमंद के द्वारा निर्णित होना स्वीकार है। शेष तथ्य जानकारी के अभाव से अस्वीकार है। प्रारम्भिक आपत्ती निगरानी की क्लम नंबर 4 का विवरण गलत होकर आंशिक रूप से अस्वीकार है। जिसमें वर्णित सिविल जज साहब, भीम में दावा होना व अपर जिला न्यायाधीश महोदय, राजसमंद के द्वारा निर्णित होना स्वीकार है। शेष तथ्य जानकारी के अभाव से अस्वीकार है। प्रारम्भिक आपत्ती निगरानी की क्लम नंबर 5 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है। जवाब में निवेदन है कि अप्रार्थी सं० 3 की जो तथाकथित पटटा जारी किया है, वो भाग्यवन्ती के पति सत्यनारायण को वर्ष 1985 में पटटा जारी होना बताया उस समय विवादित जमीन बिलानाम राजस्थान सरकार के खाते में पंचायत के नाम खाते नहीं थी, न ही यह भूमि आबादी भूमि थी, ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत का सत्यनारायण के नाम पर पटटा जारी करने का अधिकार नहीं था। उस समय उक्त भूमि के आ०न० 124 मी० बिलानाम थे, अर्थात् बिलानाम भूमि पंचायत के खाते में ही थी, ऐसी स्थिति में पंचायत को पटटा जारी करने का अधिकार नहीं था। पंचायत आदेशिका में यह उल्लेख किया है कि अप्रार्थी संख्या 03 भाग्यवन्ती के पति को वर्ष 1985 को पटटा जारी किया है, इसलिए दुबारा पटटा ललित व भाग्यवन्ती को दिया है, ऐसी स्थिति में पूर्व में जमीन ही आबादी में नहीं थी, तो पंचायत को पटटा दिये जाने का कोई अधिकार नहीं है। प्रारम्भिक आपत्ती निगरानी की क्लम नंबर 6 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है। जवाब में निवेदन है कि प्रस्तुत निगरानी धारा 97



*Handwritten signature in blue ink.*

राज0 ग्राम पंचायत अधिनियम के तहत पूर्ण रूप से पौषणीय है व निगरानीकर्ता हितबद्ध व्यक्ति होने से निगरानी पेश की है। विशेष कथन :- ग्राम पंचायत बाधाना ने उक्त पट्टे को अवैध मानते हुए दिनांक 20-10-2010 को एक कौरम के प्रस्ताव संख्या 2 के जरिये ग्राम पंचायत बाधाना के सरपंच व अन्य वार्ड पंचो ने मिलकर यह प्रस्ताव पास किया कि विवादित पट्टा सत्यनारायण के जरिये ललित व भाग्यवन्ती को दिया गया है, वह पट्टा राज्य मार्ग की सीमा में आता है, पंचायत से गलत तथ्य बताकर पट्टा जारी करा दिया है। इसलिए उक्त पट्टे की रजिस्ट्री नहीं कराई जावे एवं ललित व भाग्यवन्ती ने पंचायत को गुमराह किया है। अर्थात् विवादित पट्टा अवैध और पंचायत राज अधिनियमों के विपरित होने से खारिज होने योग्य है। विवादित पट्टे के संदर्भ में आ0न0 124 मी0 जिसके नये नंबर 2103/124 का जो रूपान्तरण करके 2 बीघा भूमि आबादी में परिवर्तित की गई थी, उसमे से ग्राम पंचायत बाधाना ने 4 पट्टे जारी किये थे, जो क्रमशः मदनलाल पिता किसना जी जोशी, रामसिंह पिता खुमसिंह जी रावत, भाग्यवन्ती पत्नि सत्यनारायण जी जोशी, ललित कुमार पिता सत्य नारायण जी जोशी निवासी बाधाना के पट्टा में से मदनलाल एवं रामसिंह के पट्टे आप न्यायालय ने अवैध मानते हुए तत्कालिन पीठासीन अधिकारी बालमुकुन्द जी असावा आईएएस जिला कलक्टर महोदय, राजसमंद ने खारिज कर दिये, अर्थात् ये चारों पट्टे सरवैले से होकर राज मार्ग की सीमा में आते हैं, इसलिए उक्त पट्टो को खारिज कर दिया। विवादित पट्टा भी राज्य मार्ग की सीमा में आता है व पंचायत को गुमराह करके गलत पट्टा जारी कराया है, जो खारिज होने योग्य है। मौके पर अप्रार्थी संख्या 3 भाग्यवन्ती का कोई मौके पर मकान नहीं है, और ना ही कोई संरचना है। उक्त पट्टे पंचायत राज अधिनियम के नियम 157 ए के तहत दिये गये है। अर्थात् पुस्तैनी मकान का पट्टा होना बताया है। जबकि मदनलाल के नाम जारी पट्टे में ललित एवं भाग्यवन्ती का बाडा होना बताया है, अर्थात् मौके पर अप्रार्थी संख्या 3 का कोई पुस्तैनी मकान नहीं है। बाडे का पट्टा पंचायत राज अधिनियम के नियम 157 ए के तहत नहीं दिया जा सकता है। अतः प्रार्थना है कि अनिगराकार संख्या 3 के द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति को इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष कि विद्वान अधिवक्ताओ की उक्त प्रारम्भिक आपत्ति के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 03 ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से यह कथन किया कि स्वीकृत रूप से जैर निगरानी पट्टा संख्या 45 दिनांक 20.10.2010 को जारी किया गया है। विधि अनुसार किसी अधिनियम के अन्तर्गत या परिसीमा अधिनियम के पार्ट सैकेण्ड में अन्यत्र कोई परिसीमा काल उपबंधित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में निगरानी प्रस्तुतिकरण की म्याद परिसीमा अधिनियम के आर्टिकल 137 के अधीन तीन वर्ष है। जबकि हस्तगत निगरानी जैर 14 वर्ष देरीना पेश की गई है। अप्रार्थी सं. 03 ने निगराकार/प्रार्थीगण के विरुद्ध अज अदालत श्रीमान् वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश महोदयजी, भीम में दीवानी वाद प्रस्तुत किया तथा वहां निगराकार/प्रार्थी ने अपने जवाब दावा में यह अभिवचन किया कि अप्रार्थी सं. 03 के पट्टे की भूमि निगराकार/ प्रार्थीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की सम्पत्ति होकर आराजी संख्या 121 के साबिक आराजी संख्या 1195, 1196, 1197, 1198, व 1199 है। यानि निगराकार/प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. 03 की पट्टेशुदा भूमि को अपनी होने का कथन कर दीवानी मूलवाद में अपना जवाब-दावा प्रस्तुत किया



*deh*

तथा जो पट्टा अप्रार्थी सं. 03 को जारी हुआ, उस पर वही एतराज के संबंध में अपना जवाब-दावा पेश किया, जो उक्त निगरानी याचिका में भी अभिवचन प्रस्तुत किये हैं। अज अदालत श्रीमान् वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश महोदय, भीम द्वारा अपने निर्णय दिनांक 09.04.2024 को निगराकार/प्रार्थी का जवाब-दावा के अभिवचनों को सही नहीं मानते हुए मिथ्या साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत करने तथा न्यायालय में गलत तथ्य पेश करने पर विचारणीय न्यायालय ने मैरिट पर वाद का निस्तारण करते हुए अप्रार्थी/अनिगराकार सं. 03 के पक्ष में वाद को निर्णय व डिक्री कर दिया। जिस पर निगराकार/प्रार्थी ने निर्णीत वाद के निर्णय दिनांक 09.04.2024 पर आक्षेप लगाते हुए अज अदालत श्रीमान् जिला न्यायाधीश महोदय, राजसमन्द के समक्ष निर्णीत दीवानी मूलवाद की प्रथम दीवानी अपील पेश की। जो दर्ज रजिस्टर होकर पुनः नियमित सुनवाई हेतु अज अदालत श्रीमान् अपर जिला न्यायाधीश महोदय, राजसमन्द के न्यायालय में ट्रांसफर हुई। जहां अपील की सुनवाई प्रारम्भ होते ही अपीलार्थी/निगराकार ने अपील में अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर अपीलीय न्यायालय ने अपील व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को मैरिट पर पूर्ण सुनवाई करते हुए अपीलार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज कर दी गई तथा अपीलीय न्यायालय ने अप्रार्थी सं. 03 श्रीमती भाग्यवंती देवी जोशी के स्वामित्व व आधिपत्य को विधि अनुरूप सही व पुश्तैनी मानते हुए दिनांक 25.11.2024 को अपीलीय निर्णय व डिक्री पारित कर दिया। अज अदालत श्रीमान् वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश महोदय, भीम एवं श्रीमान् अपर जिला न्यायाधीश महोदय, राजसमन्द के हस्तगत दीवानी प्रकरण में यह स्पष्ट निर्णीत हो चुका है कि अनिगराकार/अप्रार्थी सं. 03 का आवासीय भूमि का पट्टा विलेख आराजी सं. 121 की भूमि में नहीं होकर ग्राम पंचायत बाघाना की आबादी के खसरा नं. 2103/124 में है। जो अनिगराकार सं. 01 व 02 ने अनिगराकार सं. 03 के पक्ष में जारी कर रखा है। विचारणीय व अपीलीय न्यायालय में राजस्व विभाग द्वारा जारी भू-अभिलेख साक्ष्य पर न्यायालय ने पूर्व में ही विचार कर रखा है। जो साक्ष्य न्यायालय में परीक्षित होते हुए प्रदर्श मार्क 23 में जमाबंदी व प्रदर्श मार्क 24 में खसरा नक्शा जो कि आबादी भूमि का प्रमाणित साक्ष्य है। जिससे यह साबित होता है कि निगराकार/प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 03 के विरुद्ध पूर्व में ही न्यायालय में यह समस्त तथ्य साबित हो चुके हैं। निगराकार/प्रार्थी के द्वारा जो निगरानी याचिका अप्रार्थी के विरुद्ध पेश की है जो विधिशास्त्र के "रेस ज्युडीकेटा" के सिद्धान्त के अनुसार चलने योग्य नहीं होने से काबिले खारिज करने योग्य है। निगराकार/प्रार्थी ने उक्त पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के तहत प्रस्तुत की है। जो कि प्रस्तुत निगरानीकार/प्रार्थी पूर्व में डबल कोर्ट से उन्हीं तथ्यों से निर्णीत होने के उपरांत भी अधिनियम की धारा 97 के प्रावधान के अनुसार "हितबद्ध व्यक्ति व पीडित पक्षकार नहीं है" तथा निगरानी याचिका प्रस्तुत करने का निगराकार का कोई औचित्य भी नहीं है। इसलिए बिना अधिकार व हित से परे जाकर पुनः निर्णीत तथ्यों पर निर्णय नहीं किया जा सकता, इसलिए यह निगरानी याचिका को सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए काबिले खारिज किये जाने योग्य हैं।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से यह कथन किया कि उक्त भूखण्ड अनिगराकार संख्या 1, 2 ने 3 के पक्ष में राजस्थान पंचायत



*John*

राज नियम 1996 के नियम 157 (1) के तहत तथाकथित आवंटन होना बताया है। राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के प्रावधान में उक्त पट्टा 6300 वर्गफीट का दिया गया है। पंचायत राज अधिनियम 1996 के नियम 157 (1) के तहत अधिकतम भूमि का पट्टा जारी करने का जो नियम बना रखा है, उससे अधिक भूमि का पट्टा जारी किया गया है। उक्त पट्टा जारी करने से पहले अनिगराकार संख्या 3 के पति सत्यनारायण को जो पट्टा जारी किया गया है, उक्त पट्टा दिनांक 12.08.1985 को जारी करना बताया जाता है, जब कि आराजी नम्बर 124 मीन की किस्म आबादी नहीं थी तो फिर आबादी भूमि का तथाकथित पट्टा कैसे जारी किया गया, किन नियमों के तहत जारी किया गया एवं वर्तमान में जो पट्टा जारी किया गया है उसमें भी पूर्व पट्टे के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अनिगराकार संख्या 1, 2 का उक्त सारा कृत्य विधि विरुद्ध है। किसी भी पट्टे के अस्तित्व में रहते हुए पश्चात्वर्ती पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। ग्राम पंचायत बाधाना ने उक्त पट्टे को अवैध मानते हुए दिनांक 20-10-2010 को एक कौरम के प्रस्ताव संख्या 2 के जरिये ग्राम पंचायत बाधाना के सरपंच व अन्य वार्ड पंचों ने मिलकर यह प्रस्ताव पास किया कि विवादित पट्टा सत्यनारायण के जरिये ललित व भाग्यवन्ती को दिया गया है, वह पट्टा राज्य मार्ग की सीमा में आता है, पंचायत से गलत तथ्य बताकर पट्टा जारी करा दिया है। इसलिए उक्त पट्टे की रजिस्ट्री नहीं कराई जावे एवं ललित व भाग्यवन्ती ने पंचायत को गुमराह किया है। अर्थात् विवादित पट्टा अवैध और पंचायत राज अधिनियमों के विपरित होने से खारिज होने योग्य है। विवादित पट्टे के संदर्भ में आ0न0 124 मी0 जिसके नये नंबर 2103/124 का जो रुपान्तरण करके 2 बीघा भूमि आबादी में परिवर्तित की गई थी, उसमें से ग्राम पंचायत बाधाना ने 4 पट्टे जारी किये थे, जो क्रमशः मदनलाल पिता किसना जी जोशी, रामसिंह पिता खुमसिंह जी रावत, भाग्यवन्ती पत्नि सत्यनारायण जी जोशी, ललित कुमार पिता सत्य नारायण जी जोशी निवासी बाधाना के पट्टा में से मदनलाल एवं रामसिंह के पट्टे आप न्यायालय ने अवैध मानते हुए खारिज कर दिये, अर्थात् ये चारों पट्टे सरवैले से होकर राज मार्ग की सीमा में आते हैं, इसलिए उक्त पट्टों को खारिज कर दिया। विवादित पट्टा भी राज्य मार्ग की सीमा में आता है व पंचायत को गुमराह करके गलत पट्टा जारी कराया है, जो खारिज होने योग्य है। मौके पर अप्रार्थी संख्या 3 भाग्यवन्ती का कोई मौके पर मकान नहीं है, और ना ही कोई संरचना है। उक्त पट्टे पंचायत राज अधिनियम के नियम 157 ए के तहत दिये गये हैं। अर्थात् पुस्तैनी मकान का पट्टा होना बताया है। जबकि मदनलाल के नाम जारी पट्टे में ललित एवं भाग्यवन्ती का बाडा होना बताया है, अर्थात् मौके पर अप्रार्थी संख्या 3 का कोई पुस्तैनी मकान नहीं है। बाडे का पट्टा पंचायत राज अधिनियम के नियम 157 ए के तहत नहीं दिया जा सकता है। अतः प्रार्थना है कि अनिगराकार संख्या 3 के द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति को इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की प्रारम्भिक आपत्ति के प्रार्थना पत्र की बहस पर गहन मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व ग्राम पंचायत की मूल पट्टा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। इस प्रकरण में विवादित पट्टा जो कि ग्राम पंचायत बाधाना द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 भाग्यवन्ती देवी पत्नि श्री सत्य नारायण जोशी के पक्ष में दिनांक 20.10.2010 को जारी कर दिया गया। उसके संबंध में निगराकार द्वारा माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधिश भीम में प्रकरण संख्या 45/2021 दायर किया गया था जिसका निर्णय दिनांक



*Deh*

09.04.2024 को कर दिया गया है तथा इस निर्णय में माननीय न्यायालय द्वारा इस विवादित पट्टे का पंजियन वादिया अप्रार्थी संख्या 3 भाग्यवन्ती देवी के पक्ष में कराये जाने के आदेश ग्राम पंचायत को दे दिये गये है तथा माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश भीम के निर्णय के विरुद्ध एक अपील निगराकार द्वारा अपीलीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश राजसमन्द में प्रस्तुत की गई थी। जिसका निर्णय भी अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 25.11.2024 को कर दिया जाकर उक्त अपील को खारिज कर दी गई। उक्त विवादित पट्टे के संबंध में माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश भीम द्वारा पंजियन कराये जाने के आदेश दिये जा चुके हैं तो ऐसी स्थिति में उस पट्टे को निरस्त किया जाना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं माना जा सकता है।

सिविल न्यायालय द्वारा पट्टे के गुणावगुण पर विवेचन किया जाकर इन्ही पक्षकारान को सुनकर निर्णय पारित किया गया है। निगराकार द्वारा सिविल न्यायालय द्वारा किये गये निर्णय के तथ्यों को छुपाकर यह निगरानी याचिका पेश की हैं। ऐसी स्थिति में इन्ही पक्षकारों के मध्य इसी विषय वस्तु को लेकर सिविल न्यायालय से निर्णय पारित हो चुका है। इसलिए निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका विधि से भी बाधित है।

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रारम्भिक आपत्ति के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को अस्वीकार कर खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। यदि माननीय उच्च न्यायालय अथवा सक्षम न्यायालय द्वारा माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश भीम के निर्णय को अपास्त किया जाता है या परिवर्तित किया जाता है तो निगराकार पुनः निगरानी इस न्यायालय में दायर करने हेतु स्वतंत्र रहेंगे।

### :: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत गैर निगराकार संख्या 03 द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को खारिज किया जाता है। ग्राम पंचायत बाघाना को निर्णय की प्रति तथा उनके कार्यालय की मूल पट्टा पत्रावली भिजवाई जावें।

  
(अरुण कुमार हसीजा)  
जिला कलक्टर  
राजसमंद

निर्णय आज दिनांक: 16.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(अरुण कुमार हसीजा)  
जिला कलक्टर  
राजसमंद